

भारत सरकार वित्त मंत्रालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर - 474006	 सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance Central Bureau of Narcotics 19, The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) - 6
(PBX) : (91) 751-2368996E-MAIL: narcom@bsnl.in		
F.No. II(3)13/Estt/MTS to LDC/2024 - 670	Dated, the 15 April, 2025	

Estt. Order No. 16/2025

As per the findings of DPC for the year 2024 for promotion of Multi-Tasking Staff to the grade of Lower Division Clerk held in the office of Narcotics Commissioner on 26.12.2024, the following officer in the post of Multi-Tasking Staff is hereby promoted to the grade of Lower Division Clerk in Level-2 of pay matrix Rs. 19,900- 63,200/- with effect from 01.01.2025.

S.No.	Name of the officer	Against the vacancy year
1.	Shri Satish Meena	2024

1. The official should note that:

(a) If he does not accept the offer of promotion within 10 days of issue of order and fail to report for duty at his place, it will be considered as refusal of promotion and he shall be debarred for promotion to the grade of Lower Division Clerk, for a period of one year.

(b) His seniority will be reckoned on the basis of panel drawn by DPC for the year 2025.

(c) He is required to submit within one month of promotion, his option of fixation of pay on promotion as per DoP&T's O.M.No.13/02/2017-Estt.(Pay-I) dated 27th July 2017. However, where the officials have been granted benefit of financial upgradation under the ACP/MACP Scheme, their pay would be fixed in accordance with the provision contained in Para 9 of Annexure to DoPT's O.M. No.35034/1/97-Estt.(D) dated 9.8.1999 and for MACP, provisions contained in DoPT's O.M.No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.5.2009 respectively.

2. The promotion, in the higher grade, in respect of the official shall take effect from 01.01.2025.

3. His regular posting will be decided in due course. Till then he shall assume the charge of the promotional post on in situ (as is where is) basis.

4. The concerned Unit DNC/ CCF/ GM shall ensure that if the officer is under suspension or facing any charge sheet or prosecution, he/ she should not be

allowed to assume charge of the post of Lower Division Clerk and this fact should be reported to this office immediately.

5. If the above officer accepts the promotion in the grade of Lower Division Clerk, any further requests for reversion to the feeder cadre in subsequent DPCs will not be considered.

6. If the above officer accepts the promotion in the grade of Lower Division Clerk, as per G.S.R. 773(E) dated 18.12.2024, he is required to pass the Departmental Examination within 2 years of promotion.

7. The above officers should join immediately and a compliance report on the same should be sent to the undersigned immediately.

This issues with the approval of Narcotics Commissioner.



(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner

Shri.....

.....

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1.

1. The CCF, New Delhi.
2. The Dy. Narcotics Commissioner, CBN, Neemuch/Kota/Lucknow.
3. The General Manager, GOAW, Neemuch/Ghazipur
4. PS to Narcotics Commissioner, CBN, Gwalior.
5. PA to DNC & ANC.
6. The Pay and Account Office, CBN, Gwalior
7. All Section In-charge, CBN, Gwalior.
8. Guard File/Website.



(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर - 474006



Government of India
Ministry of Finance
Central Bureau of Narcotic
19, The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) -

फ.सं.11(3)13 /स्था/एमटीएस से एलडीसी/2024

दिनांक 15 अप्रैल 2025

स्थापना आदेश संख्या 16/2025

एमटीएस के पद से एलडीसी के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 26.12.2024 को नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर के कार्यालय में आयोजित वर्ष 2024 की डीपीसी के निष्कर्षों के अनुसार, निम्नलिखित एमटीएस को वेतन मैट्रिक्स रु. 19900 से 63200 के लेवल-2 में एलडीसी के पद पर दिनांक 01.01.2025 से पदोन्नत किया जाता है।

क्र	अधिकारी का नाम	रिक्ति वर्ष के विरुद्ध
1.	श्री सतीश मीणा	2024

1. उपर्युक्त अधिकारी ध्यान दें कि:

(क) यदि कोई अधिकारी आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और अपने संबंधित स्थान पर इयूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो इसे पदोन्नति से इनकार माना जाएगा और उसे एक वर्ष की अवधि के लिए एलडीसी के ग्रेड में पदोन्नति के लिए रोक दिया जाएगा।

(ख) उनकी वरिष्ठता वर्ष 2025 के लिए उपर्युक्त डीपीसी द्वारा तैयार पैनल के आधार पर गणना की जाएगी।

(ग) उन्हें पदोन्नति के एक महीने के भीतर, DoP&T के दिनांक 27 जुलाई 2017 के O.M.No.13/02/2017-Estt.(Pay-I) के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का अपना विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, जहां अधिकारी को एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है, उसका वेतन डीओपीटी के ओ.एम. के अनुलग्नक के पैरा 9 में निहित प्रावधान के अनुसार तय किया जाएगा। सं.35034/1/97-स्था.(डी) दिनांक 9.8.1999 और एमएसीपी के लिए क्रमशः डीओपीटी के कार्यालय जापन सं.35034/3/2008-स्था.(डी) दिनांक 19.5.2009 में निहित प्रावधान लागू होंगे।

2. पदोन्नति उच्च पद में संबंधित अधिकारी के संदर्भ में 01.01.2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

3. उनकी नियमित पोस्टिंग उचित समय पर तय की जाएगी। तब तक वे पदोन्नति पद का कार्यभार

यथास्थिति में (जहां वह तैनात है) ग्रहण करेंगे।

4. संबंधित यूनिट डीएनसी/सीसीएफ/जीएम यह सुनिश्चित करेंगे की यदि अधिकारी निलंबन में है या किसी चार्जशीट या अभियोजन का सामना कर रहा है, तो उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति ना दी जाए।

5. यदि उपरोक्त अधिकारी एलडीसी के पद पर पदोन्नति स्वीकार करता है तो भविष्य में डीपीसी में फीडर केंडर में पुनर्विचार के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

6. यदि उपरोक्त अधिकारी जीएसआर 773(e) दिनांक 18.12.2024 के अनुसार एलडीसी के पद पर पदोन्नति स्वीकार करता है तो उसे पदोन्नति के 2 वर्ष के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

7. उपरोक्त अधिकारी को तुरंत कार्यभार ग्रहण करना चाहिए और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट तुरंत अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजी जानी चाहिए ।

उक्त आदेश नारकोटिक्स आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(मनोज कुमार)

सह नारकोटिक्स आयुक्त

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:-

1. सीसीएफ, सरकारी अफ़ीम और अल्कलॉइड फैक्टरियाँ, नई दिल्ली।
2. उप. नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, नीमच/कोटा/लखनऊ।
3. महाप्रबंधक, जी.ओ.ए.डब्ल्यू, नीमच/गाजीपुर
4. नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, ग्वालियर के निजी सचिव।
5. पीएस डीएनसी, पीए एएनसी (अकाउंट्स/एडमिन), सीबीएन, ग्वालियर
6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीबीएन, ग्वालियर
7. अधीक्षक, ओपियम/विग/प्रे/टेक/प्री./नारकोटिक्स/प्रशा./लेखा एवं वेतन बिल/ऑनलाइन/हिन्दी, मुख्यालय, ग्वालियर,
8. गार्ड फाइल/वेबसाइट।



(मनोज कुमार)

सह नारकोटिक्स आयुक्त